

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक- 06.03.2021 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त विरेन्द्र पुत्र यादराम निवासी निवासी मझौला खुर्द थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय 45 पच्चे शराब अंग्रेजी 8 PM मार्का सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र अतर सिंह निवासी मौ0 रफातपुरा थाना अमरोहा देहात को मय 16 पच्चे अवैध शराब व उमर अली पुत्र नन्हे निवासी ग्राम धनौरी अहीर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त यासीन पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौ0 कटरा कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधि कार्यवाही की गई ।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त जियाउल हसन पुत्र लियाकत निवासी ग्राम करियावली थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर को मय एक तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक बुलेट मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. विनीत पुत्र रामचन्दर व 2. लखमी पुत्र तुलसी निवासी गण बौना वाली डगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 30-30 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बलबीर पुत्र सावन्ती निवासी ग्राम सुबडा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम भावली थाना रहरा जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया । जिसमें थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्ति व थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया ।